प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 07.08.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में महुली पुलिस की तत्परता से गुमशुदा नाबालिग बालक सकुशल बरामद

माता-पिता की उम्मीद बनी महुली पुलिस की जिम्मेदारी व अथक प्रयासों से बालक को सुरक्षित तलाशकर किया बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीणा* के निर्देशन, **अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं **क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे गुमशुदा एवं अपहृत बालक-बालिकाओं की बरामदगी अभियान के क्रम में थाना महुली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गुमशुदा नाबालिग बालक को सकुशल बरामद किया।

थाना महुली क्षेत्र की एक महिला द्वारा अपने नाबालिग पुत्र के दिनांक 26.01.2026 से लापता होने की सूचना दिए जाने पर, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 06.08.2026 को थाना महुली पर मु0अ0सं0 322/2026 धारा 143 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम द्वारा लगातार तलाश एवं सूचना संकलन के उपरांत दिनांक 07.08.2026 को बालक को सकुशल बरामद कर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई।

बालक की सकुशल बरामदगी से परिजनों ने राहत की सांस ली। थाना महुली पुलिस ने पूरे प्रकरण में संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया कि बालक को विधिक प्रक्रिया के अनुरूप सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया जाए।

महुली पुलिस का संकल्प है कि प्रत्येक गुमशुदा बच्चे की तलाश पूरी संवेदनशीलता, तत्परता एवं विधिक प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी, ताकि हर परिवार की उम्मीद सुरक्षित रह सके।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को ₹3,81,966.63 की धनराशि कराई गई वापस
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में संचालित क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित अवधेश पुत्र रामशंकर राय निवासी सरौली चाहरूम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के खाते में ठगी गई धनराशि में से ₹3,81,966.63 सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण– पीड़ित के साथ दिनांक 26.04.2026 को बैंक कस्टमर केयर का कर्मचारी बनकर एटीएम कार्ड अपडेट कराने के नाम पर ओटीपी प्राप्त कर ₹6,26,000 की साइबर ठगी की गई थी। इस संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए साइबर क्राइम थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है। तत्पश्चात साइबर क्राइम थाना पुलिस के त्वरित एवं प्रभावी प्रयासों से पीड़ित को ₹3,81,966.63 की धनराशि वापस दिलाई गई।
रिकवर/होल्ड कराने वाले अधि0/कर्मचारी : प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश चौबे, उ0नि0 श्री रमेश यादव, का0 रामप्रवेश मद्देशिया एवं का0 सौरभ यादव।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत शिकार हुए पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराया गया 6000 रु0 की धनराशि *

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके शेयर चैट एप में आफलाइन क्वाइन डालने के नाम पर आवेदक के साथ धोखाधड़ी कर फ्राडर अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करवा लिया था। आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में ट्रांसफर हुए 9250-/ रुपये मे से 6000-/ रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरण:- पीड़ित श्री इन्द्रमणि पुत्र श्याम सुन्दर मौर्या निवासी बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से दिनाँक 02.08.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन शेयर चैट एप में आफलाइन क्वाइन डालने के नाम पर आवेदक के साथ धोखाधड़ी कर फ्राडर अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करवा लिया था। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल थाना बेलहरकला में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या 33108260190531 पर आवश्यक एवं प्रभावी पैरवी से 9250-/ रुपये मे से 6000-/ रुपये की धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।
साइबर हेल्प डेस्क:- थानाध्यक्ष श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव (प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क), का0 दीनानाथ,का0 शैलेश यादव
***अपील-* जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।**

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा पुलिस-* द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. रत्नेश राय पुत्र भाष्कर राय ग्राम रजनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 02. रमेश पुत्र रामधनी साकिन बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री उ0नि0 वीर बहादुर यादव , उ0नि0 श्री हबीब अहमद का0 मनोज यादव व का0 वैभव सिंह, का0 आदर्श अग्रहरि, का0 पंकज कुमार गुप्ता, का0 अखिलेश खरवार।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01. कमलावती पत्नी वृहस्पति निवासी गनगई बाबू थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, हे0का0 मुरली मनोहर , कां0 मंजेश यादव , म0का0 श्वेता तिवारी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 121 वाहनों से 125,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 07.08.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 121 वाहनों से 125,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0 0711/2026 धारा 87/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त तबरेज पुत्र नईम उर्फ भकोले निवासी मड्या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 02.08.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृता को बरामद करते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ध्रुवनरायण यादव, हे0का0 हरिनरायन प्रसाद हे0का0 मनोज कुमार सिंह, म0का0 प्रतिक्षा यादव।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में 03 अभियुक्तों को 08-08 वर्ष साधारण कारावास की सजा व कुल 45,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 07.08.2026 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र जनपद संतकबीरनगर ***श्री रणधीर सिंह*** द्वारा 03 अभियुक्तों को 08-08 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व कुल 45,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 30.05.2023 को वादिनी मुकदमा श्री सरोज पत्नी मुनिरका निवासी जोगीडीहा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर अभियुक्तगण 01. सूरज पुत्र मुन्नीलाल, 02. मुन्नीलाल पुत्र मोतीलाल, 03. उषा देवी पत्नी मुन्नीलाल निवासीगण उत्तर पट्टी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी की पुत्री अनुराधा की दहेज के लालच में हत्या करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। क्षेत्राधिकारी श्री अम्बरीष सिंह भदौरिया द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 193/2023 धारा 498ए/304बी/34 भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 498ए भादवि के अपराध में 03-03 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 10,000-10,000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 304बी/34 भादवि के अपराध में 08-08 वर्ष साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत 02-02 वर्ष के साधारण कारावास व 05-05 हजार रु0 के अर्थदण्ड तथा उपरोक्त जुर्माना न अदा करने पर 01-01 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के अपराध में 02 अभियुक्तगणो को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व प्रत्येक को 01-01 हजार रुपये (कुल 02 हजार रुपये) के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 07.08.2026 को माननीय न्यायालय न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तगणो को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व प्रत्येक को 01-01 हजार रुपये (कुल 02 हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री दिलीप कुमार पुत्र स्व0 राम लखन निवासी भिडौरा पिकौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 13.05.2016 को थाना बखिरा पर अभियुक्तगणो 01.मनोज पुत्र शिवमूरत 02. सुजीत पुत्र शिवमूरत निवासीगण भिडौरा पिकौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट व गाली गलौज के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एन0सी0आर0 सं0 89/16 धारा 323/504 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगणो द्वारा दोषसिद्धी के आधार पर धारा 323/504 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व प्रत्येक को 01-01 हजार रुपये (कुल 2000 रुपये) से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 07.08.2026 को माननीय न्यायालय न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र प्रताप नरायन निवासी पिडारी कला टोला सिंगरहट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 29.07.2019 को थाना मेहंदावल पर अभियुक्त सांवर यादव पुत्र गुलाब यादव निवासी पिडारीकला टोला सिंगरहट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट व गाली गलौज के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री रणविजय सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एन0सी0आर0 सं0 175/2019 धारा 323/504 भादवि थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त को दोषसिद्धी के आधार पर धारा 323/504 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व 01 हजार रुपये (धारा 323 में 700 रु0 व धारा 504 में 300 रु0) से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनों धाराओं में 01-01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधि0 के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 1050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 07.08.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा थानाध्यक्ष दुधारा श्री आरएन सिंह द्वारा थाना दुधारा पर अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ सिन्टू शाही पुत्र सुधीर शाही निवासी गढ़वा रामपुर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के पास से 12 राशि गोवंशीय पशु बरामद होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री शेषनाथ पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मुअसं0 63/2006 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उक्त प्रकरण में जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 05 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 07.08.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री सुभाष मल्लाह पुत्र रामकेश निवासी बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 22.04.2014 को थाना मेंहदावल पर अभियुक्त कृष्णा सिंह पुत्र नरेश सिंह निवासी बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट व गाली गलौज के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री सलवन्त यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एन0सी0आर0 सं0 67/2014 धारा 323/504/506 भादवि थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 323/504/506 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व कुल 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 25 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 07.08.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री भागीरथी बेलदार पुत्र हरदेव बेलदार निवासी गिरधार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 13.04.2003 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त मूसे बेलदार पुत्र बैजनाथ निवासी गिरधार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट व गाली गलौज के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री रामआशीष यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एन0सी0आर0 सं0 212/2003 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 323/504/506 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व कुल 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व कुल 4000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 07.08.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री रामलखन पुत्र चन्द्रबली निवासी समोगर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 04.09.2005 को थाना मेंहदावल पर अभियुक्त राम नेवास पुत्र चन्द्रबली निवासी समोगर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट व गाली गलौज के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री गोकर्ण सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 923/2005 धारा 452/323/504/506/325 भादवि थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 452/323/504/506/325 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व कुल 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

साइबर फ्राड के शिकार हुए पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क थाना धर्मसिंहवा पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस करायी गयी 10,001 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर हेल्प डेस्क थाना धर्मसिंहवा द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए आवेदक द्वारा फोन पे के माध्यम से अपने एकाउंट से अपने गांव की ही एक महिला के मोबाइल नम्बर पर 10001 रुपया भेजा जा रहा था। फ्राड व्यक्ति द्वारा उक्त महिला के मो0नं0 को हैंक कर लिया गया था जिससे रुपया महिला के एकाउंट में न जाकर फ्राड व्यकित के एकाउंट में चला गया था। आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में ट्रांसफर हुए 10001-/ रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- पीड़ित मोहम्मद हस्सान पुत्र इरशाद अहमद निवासी कसया थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 18.10.2025 को फोन पे के माध्यम से अपने एकाउंट से अपने गांव की ही एक महिला के मोबाइल नम्बर पर 10001 रुपया भेजा जा रहा था। फ्राडर द्वारा उक्त महिला के मो0नं0 को हैंक कर लिया गया था जिससे पीड़ित द्वारा भेजा गया धन महिला के एकाउंट में न जाकर किसी फ्राड व्यक्ति के एकाउंट में चला गया था। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या 33110250143126 पर आवश्यक एवं प्रभावी पैरवी से 10001-/ रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर हेल्प डेस्कः- थानाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री संदीप कुमार राय (प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क), हे0का0 रामचन्दर यादव,का0 विजय शर्मा, म0का0 शिवांगी शुक्ला।

***अपील- जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें* ।**